राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः जयपुर, दिनांकः

विज्ञप्ति

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 202/1995, आई.ए. संख्या 41723/2022 में ओरण एवं पारिस्थितिकी क्षेत्रों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में **कोटा जिले** की सलंग्नक में अंकित भूमियों को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

इस विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि यदि वे इस संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव इत्यादि देना चाहे तो वे अद्योहस्तक्षारकर्ता अथवा कोटा संभाग के मुख्य वन संरक्षक (फोन नं. 0744–2500194, ई–मेलः ccf.kota.forest@rajasthan.gov.in) एवं कोटा जिले के उप वन संरक्षक (फोन नं. 0744–2322747, ई–मेलः dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in) को दिनांक 03.03.2024 तक लिखित रूप में भेज सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर उचित निर्णय के पश्चात इन भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जायेंगे। उक्त आपत्तियां विभाग के ई–मेल apccf.prot.forest@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

अनुसूची (डीम्ड फोरेस्ट)

क्र. सं.	जिला	तहसील	गांव	खसरा नं.	भूमि की किस्म	स्वामित्व	क्षेत्रफल
1	कोटा	लाडपुरा	कितलहेडी	270	गैर मुमकीन	राज्य सरकार	4.42
2	कोटा	सांगोद	खजूरी	1284, 1285, 1316, 1317, 1318	चारागाह	पंचायत भूमि	90.65
3	कोटा	सांगोद	हिन्गी	1110	चारागाह	पंचायत भूमि	15.39
4	कोटा	रामगंजमण्डी	छतरपुरा	79	चारागाह	–	1
5	कोटा	रामगंजमण्डी	मिन्याखेडी	256	गै.मु.बैहड.	राज्य सरकार	10.3
6	कोटा	सांगोद	कुशालीपुरा	684	बरानी 4	राज्य सरकार	4
7	कोटा	सुल्तानपुर	बमुली	55	चारागाह	पंचायत भूमि	18.2
8	कोटा	कनवास	कोटबावडी	5	चारागाह	पंचायत भूमि	4
9	कोटा	रामगंजमण्डी	बोरीना	130	बीहड़	पंचायत भूमि	16
योग							**163.96**

(पी.के. उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त),
राजस्थान, जयपुर
कमरा नं. ए–114,
फोन नं.–0141–2700073, 9460296755
ई–मेल–apccf.prot.forest@rajasthan.gov.in